रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—72

REGISTERED No. D. (D.N.)—72

केन्द्रीय सचिवालय ग्रन्थागार
CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
23 JUN 1982

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 16, 1982/फाल्गुन 25, 1903

No. 2] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 16, 1982/PHALGUNA 25, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

अधिसूचना

नई दिल्ली 5 मार्च, 1982

सं. 7-1/82-सी. सी. एच. :—केन्द्रीय होम्योपैथी-परिषद्, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1973 (1973 का 59) की धारा 24 के साथ पठित उसकी धारा 33 की उप-धारा (ठ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. घोषणा और शपथ
व्यवसायी (वृत्तिक आचरण, शिष्टाचार और नैतिकता संहिता) विनियम, 1982 है ।

1. घोषणा और शपथ

2. (क) रजिस्ट्रीकरण के समय प्रत्येक आवेदक, निम्नलिखित घोषणा और शपथ प्रस्तुत करेगा जो सम्बद्ध रजिस्ट्रार को पढ़कर सुनाया जाएगा और उसके द्वारा हस्ताक्षरित किया हुआ होगा और जो स्वयं रजिस्ट्रार या होम्योपैथी के किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अनुप्रमाणित किया हुआ होगा :—

"(1) मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपना जीवन मानव जाति की सेवा में समर्पित करूंगा ।

(2) धमकी दिए जाने पर भी, मैं अपने चिकित्सीय ज्ञान का प्रयोग मानवता के सिद्धान्तों के विरुद्ध नहीं करूंगा ।

(3) मैं मानव जीवन का भरपूर आदर करूंगा ।

(4) मैं धर्म, राष्ट्रीयता, जाति, राजनैतिक मान्यताओं या सामाजिक प्रस्थिति के आधार पर अपने रोगियों के बीच भेद-भाव नहीं करूंगा ।

(5) मैं अपनी वृत्ति होम्योपैथी और/या जीव रसायनिक चिकित्सा पद्धति (टिशू उपचार) के सिद्धांतों के अनुसार शुद्ध अन्त:करण और गरिमा के साथ करूंगा ।

(6) मैं पहले अपने रोगियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखूंगा ।

(7) मैं उन बातों को गोपनीय बनाए रखूंगा जो मुझे गुप्त रूप से बताई जाएंगी ।

(8) मैं अपने अध्यापकों को वह सम्मान दूंगा और उनके प्रति कृतज्ञ रहूंगा, जिनके वे अधिकारी हैं ।

(9) मैं सभी प्रकार से यथाशक्ति चिकित्सा वृत्ति की प्रतिष्ठा और महान परम्पराओं को बनाए रखूंगा ।

(10) मेरे साथी, मेरे भाई और बहन के समान होंगे ।

(11) मैं सत्यनिष्ठापूर्वक स्वतन्त्रतापूर्वक और कसम खाकर ये वचन देता हूं ।"

(ख) हहनेमैनियन शपथ:

"मैं अपनी कसम खाकर यह शपथ लेता हूं कि मैं होम्योपैथी की शिक्षा का उपयोग करूंगा, अपना कर्त्तव्य करूंगा, अपने रोगियों के प्रति न्याय करूंगा और उन सभी बीमारों की सहायता करूंगा जो मेरे पास चिकित्सा के लिए आते हैं।

मास्टर हहनिमैन की शिक्षा से मुझे प्रेरणा मिले और मुझे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शक्ति मिले ।"

2. साधारण सिद्धान्त

3. चिकित्सा व्यवसायी का चरित्र :—चिकित्सा वृत्ति का प्राथमिक उद्देश्य मनुष्य की प्रतिष्ठा के लिए पूर्ण आदर के साथ मानव जाति की सेवा करना है । वित्तीय फायदा उतना महत्वपूर्ण नहीं है । जो कोई इस वृत्ति को अपनाता है वह अपने आपको इसके आदर्शों के अनुरूप आचरण करने के लिए आबद्ध करता है । होम्योपैथी का चिकित्सक परिपक्व आदमी होगा जो उपचार करने की कला में शिक्षित होगा । वह अपने चरित्र को शुद्ध बनाए रखेगा और बीमारों की देखभाल तत्परतापूर्वक करेगा । वह विनीत, सरल, सहनशील तथा तत्पर रहेगा और अपना कर्त्तव्य निश्चिन्तता से करेगा । इसके साथ ही यह कर्त्तव्यनिष्ठ होगा और अपनी वृत्ति में और अपने जीवन के सभी कार्यों में औचित्यपूर्ण आचरण करेगा ।

4. चरित्र का स्तर और नैतिकता.—चिकित्सा व्यवसाय अपने सदस्यों से चरित्र और नैतिकता के उच्चतम स्तर की अपेक्षा करता है और होम्योपैथी का प्रत्येक चिकित्सा व्यवसायी का अपने व्यवसाय और जनता के प्रति यह कर्त्तव्य है कि वह उस स्तर को प्राप्त करे । होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सभी मामलों में संयम से कार्य करे क्योंकि चिकित्सा व्यवसाय में स्पष्ट और सशक्त मस्तिष्क के निरंतर उपयोग की आवश्यकता होती है ।

5. चिकित्सा व्यवसायी का उत्तरदायित्व.—होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी चिकित्सा के लिए उसके पास आए रोगियों का विश्वास अर्जित करेगा और प्रत्येक की पूरी सेवा करेगा और पूरा ध्यान देगा । चिकित्सा व्यवसाय के मान्य आदर्शों में यह अन्तरित है कि होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी का उत्तरदायित्व व्यक्तियों के प्रति ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज के प्रति है ।

6. (1) विज्ञापन.—होम्योपैथी के किसी चिकित्सा व्यवसायी द्वारा व्यक्तिगत रूप से या समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा प्लेकार्ड से या परिपत्र कार्ड या हैंडबिल वितरित करके रोगियों के लिए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से याचना करना अनैतिक है । होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी अपने आपको या अपने नाम को से चैनल के माध्यम से किसी रूप या रीति में विज्ञापन या प्रचार का विषय इस प्रकार नहीं बनाएगा या बनने देगा जो इस प्रकार का हो जो उसकी ओर या उसकी वृत्ति हैसियत या निपुणता की ओर ध्यान आकृष्ट करे या जो इस प्रकार का हो जिसका साधारणत: परिणाम अपनी ही बड़ाई करना हो । परन्तु होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी निम्नलिखित बातों के विषय में समाचार पत्रों में औपचारिक घोषणा कर सकता है :—

(1) अपना चिकित्सा व्यवसाय प्रारंभ करने की तारीख ;

(2) चिकित्सा व्यवसाय में परिवर्तन का प्रकार ;

(3) पते में परिवर्तन ;

(4) कार्य से अस्थायी अनुपस्थिति ;

(5) चिकित्सा व्यवसाय पुन: प्रारम्भ करने की तारीख ,

(6) किसी अन्य व्यक्ति के चिकित्सा व्यवसाय का उत्तरवर्ती होना ।

(2) वह उन विनिर्माता फर्मों या व्यापारियों की मूल्य सूचियों या प्रचार सामग्रियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने आप को विज्ञापित नहीं करेगा जिनके साथ वह किसी भी हैसियत में सम्बद्ध हो और न ही ऐसे मामले, कार्य या रोगियों से धन्यवाद के पत्र, व्यवसाय से भिन्न समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में प्रकाशित किए जाएंगे । परन्तु उसे अपना नाम परिचय-पत्रिका या निदेशक अथवा तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट के सम्बन्ध में प्रकाशित करवाने की अनुज्ञा होगी ।

7. वृत्तिक सेवा के लिए संदाय.—होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी, जो औषधि से संबंधित चिकित्सा व्यवसाय में लगा हुआ है, अपनी आय के स्रोत को रोगियों को दी गई सेवा के लिए वृत्तिक कार्य से प्राप्त फीस तक सीमित ही रखेगा । ऐसी सेवा के लिए प्राप्त पारिश्रमिक एक ऐसी राशि के रूप में होगा, जो रोगी को सेवा किए जाने के समय उसे विनिर्दिष्ट रूप से बता दी जाएगी । अन्य सभी मामलों में यह उस समुदाय में विद्यमान वृत्तिक सेवा के लिए दिए जाने वाले प्रतिकर का अनुपालन करना सम्मानजनक समझेगा, जिसमें वह चिकित्सा व्यवसाय करता है ।

(2) फीस होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी के स्वविवेकानुसार कम की जा सकती हैं और वह निर्धनता को ऐसा विधिमान्य आधार मानेगा जिस पर नि:शुल्क सेवा कर सकता है ।

(3) "फायदा नहीं तो—पैसे न दें" जैसी संविदा करना अनैतिक होगा ।

8. रिबेट और कमीशन.—होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी औषधीय, शल्य चिकित्सीय या अन्य उपचार के लिए किसी रोगी को निर्दिष्ट करने, सिफारिश करने या उपाप्त करने के लिए कोई दान, उपदान, कमीशन या बोनस न तो देगा, याचना करेगा या प्राप्त करेगा अथवा देने याचना करने या प्राप्त करने की प्रस्थापना करेगा और न वह किसी वृत्ति साथी, उपकरणों के व्यापारी, यन्त्रचिकित्सक या तांत्रिक से कोई कमीशन या अन्य फायदे प्राप्त करेगा ।

3. होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायी के अपने रोगियों के प्रति कर्त्तव्य :

9. बीमार के प्रति दायित्व.—यद्यपि होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी आपातस्थिति को छोड़कर, उन सभी व्यक्तियों की चिकित्सा करने के लिए बाध्य नहीं है जो उनकी सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, वह मानवता के नाते और इस वृत्ति की महान परम्परा के लिए बीमार और घायल व्यक्तियों की चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहेगा । किन्तु वह अपने उद्देश्य की उच्च प्रकृति और उस उत्तरदायित्व का ध्यान रखेगा जिसे वह अपने वृत्तिक कर्त्तव्यों के निर्वहन में उपगत करता है ।

10. रोगियों की उपेक्षा नहीं की जाएगी.—(1) होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी किसके प्रति सेवा करेगा यह चुनने की उसे स्वतंत्रता है परन्तु वह आपातस्थिति में उसकी सहायता मांगे जाने पर या जब जनता की सामान्य राय सेवा की आशा करे तब उसके प्रति ध्यान देगा ।

(2) किसी रोगी का उपचार शुरू करने के बाद, होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी रोगी की उपेक्षा नहीं करेगा और न

वह रोगी, उसके नातेदारों या उसके उत्तरदायी मित्रों को पर्याप्त समय पूर्व सूचना दिए बिना उपचार बंद करेगा जिससे कि वे कोई अन्य चिकित्सा व्यवसायी की सेवा ले सकें ।

11. सेवा की समाप्ति.—उपचार बंद करने के लिए निम्नलिखित विधिमान्य कारण होंगे :—

(1) जहां वह किसी अन्य चिकित्सा व्यवसायी को रोगी का उपचार करता हुआ पाता है ;

(2) जहां ऐसे उपचार का प्रयोग किया जा रहा है जो उसने विहित नहीं किया था ;

(3) जहां उसके उपचार और अनुदेश स्वीकार नहीं किए जाते ;

(4) जहां उसका समाधान हो गया है कि बीमारी एक बहाना है और वह उस झूठे बहाने का पक्षकार बनाया जा रहा है ।

(5) जहां रोगी चिकित्सीय सलाह के विरुद्ध अफीम, एल्कोहल, क्लोरल या इसी प्रकार की मादक ओषधियों का सेवन जारी रखता है ;

(6) जहां रोगी या उसके नातेदारों द्वारा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की पूरी जानकारी नहीं दी जाती है ।

(ख) जब तक रोगी उसकी सेवाएं चाहता है तब तक इस आधार पर उपचार बन्द नहीं किया जा सकता कि रोगी का रोग असाध्य होने का पता लग गया है ।

12. उपेक्षाजनित कार्य.—(1) होम्योपैथी का कोई भी चिकित्सा व्यवसायी जानबूझकर उपेक्षा के ऐसे कार्य नहीं करेगा जिससे कि रोगी आवश्यक चिकित्सा सुविधा से वंचित हो जाए ।

(2) होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी से सेवा में वैसी ही धर्मठता और कुशलता की अपेक्षा की जाती है जैसी समान अर्हताएं, अनुभव और उपलब्धि वाले किसी अन्य होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी से अपेक्षित हैं ।

(3) उसके कार्य या कार्यलोप की परख उससे अपेक्षित वृत्तिक सेवा के होम्योपैथी के मानकों से भिन्न मानक से नहीं की जाएगी बल्कि उससे की जाएगी जो उसके प्रशिक्षण हैसियत और अनुभव वाले होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी से अपेक्षित है ।

(4) होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी ऐसी किसी औषधि का उपयोग कर सकता है जो होम्योपैथी के सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई हो और ऐसे सहायक उपाय कर सकता है जो अपेक्षित हो ।

13. रोगियों के प्रति व्यवहार.—होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी अपने रोगियों के प्रति आचरण, सदाशिष्ट, सहानुभूति पूर्ण, मित्रवत् और सहायक होना चाहिए । प्रत्येक रोगी का उपचार सावधानीपूर्वक और ध्यानपूर्वक किया जाएगा ।

14. देखने जाना.—होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी, रोगियों के आराम के लिए ऐसे समय पर उनको घर में देखने जाने की कोशिश करेगा जो रोगियों को बताया गया हो ।

15. असूचना. (1) होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी रोगी की हालत को न तो बढ़ाकर बतायेगा और न कम करके बताएगा । वह सुनिश्चित करेगा कि रोगी, उसके नातेदारों या उसके उत्तरदायी मित्रों को रोगी की हालत की ऐसी जानकारी हो गई है जितनी से रोगी या उसके परिवार का अधिकतम हित हो ।

(2) खतरनाक लक्षण सामने आने पर वह रोगी के परिवार या मित्रों को समय पर सूचना देगा और यदि आवश्यक हुआ तो रोगी को भी सूचित करेगा ।

16. सहनशीलता, भद्रता और गोपनीयता.—सहनशीलता और भद्रता होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी के स्वभाव की विशेषता होगी । चिकित्सा व्यवसायी के रोगियों द्वारा उनसे संबंधित या उनके घरेलू जीवन के संबंध में बताई गई गुप्त बातें और चिकित्सा के दौरान रोगियों के स्वभाव या चरित्र में पाई गई त्रुटियां किसी को बताई नहीं जाएंगी जब तक कि उसका प्रकटन राज्य की विधि द्वारा अपेक्षित न हो ।

4. चिकित्सा व्यवसायियों का व्यवसाय के प्रति कर्त्तव्य

17. चिकित्सा व्यवसाय की प्रतिष्ठा को बनाए रखना.—होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी सदैव इस वृत्ति के गौरव और प्रतिष्ठा को बनाए रखेगा ।

18. चिकित्सा सोसाइटी की सदस्यता.—अपनी वृत्ति को अग्रसर करने के लिए होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी चिकित्सा सोसाइटियों से सहबद्ध हो सकता है और उनके विकास के लिए अपने समय, शक्ति और साधन का योगदान कर सकता है जिससे कि वे इस वृत्ति का बेहतर प्रतिनिधित्व कर सकें और इस वृत्ति के आदर्शों का संप्रवर्तन कर सकें ।

19. अनैतिक आचरण को प्रकट करना.—होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी, भय और पक्षपात के बिना इस वृत्ति के किसी भी सदस्य द्वारा किए गए अक्षम, भ्रष्ट, बेईमानी पूर्ण और अनैतिक आचरण को जनता के समक्ष प्रकट कर सकता है ।

20. अरजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के साथ संबंध.—होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी वृत्तिक रूप से, होम्योपैथी के अरजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी या किसी अरजिस्ट्रीकृत होम्योपैथी किसी सोसाइटी से संबंध नहीं रखेगा ।

21. प्रतिस्थानियों की नियुक्ति.—जब कभी कोई होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी व्यवसाय से अपनी अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान अन्य चिकित्सा व्यवसायी से अपने रोगियों की देखभाल करने का अनुरोध करता है तो वृत्तिक शिष्टाचार की यह अपेक्षा है कि वह ऐसी नियुक्ति को स्वीकार करे यदि वह उसके अन्य कर्त्तव्यों से संगत है । ऐसी नियुक्ति के अधीन काम करने वाला होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी अनुपस्थित चिकित्सा व्यवसायी के हितों और ख्याति का अत्यधिक ध्यान रखेगा, उनके बीच विशेष ठहराव की दशा को छोड़कर वह न तो रोगियों से और न अनुपस्थित चिकित्सा व्यवसायी से अपनी सेवाओं के लिए कोई शुल्क प्रभारित करेगा । ऐसे सभी रोगियों को होम्योपैथी के अनुपस्थित चिकित्सा व्यवसायी के लौटने पर उनके उपचार के लिए वापस कर दिया जाएगा ।

22. होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायियों की सेवा के लिए प्रभार.—(1) ऐसा कोई नियम नहीं है कि होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी अपनी सेवाओं के लिए अन्य चिकित्सा व्यवसायी से कोई प्रभार नहीं लेगा, किन्तु एक होम्योपैथी चिकित्सा

व्यवसायी, अपनी वृत्ति के अन्य बन्धु और उसके आश्रितों को अपनी सेवाएं नि:शुल्क देने में प्रसन्नता और सम्मान अनुभव करेगा यदि वह उसके इलाके में या किसी चिकित्सा विज्ञान के किसी विद्यार्थी के प्रति की जाती है ।

(2) जब होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी को किसी दूसरे होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी या उसके आश्रितों की सहायता के लिए दूर से बुलाया जाता है तो यात्रा सम्बन्धी व्यय और अन्य आनुषंगिक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

23. (1) यदि किसी होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी को आपात स्थिति में ऐसे रोगी को देखने के लिए बुलाया जाता है जो किसी दूसरे होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी की देखभाल में है, आपात स्थिति समाप्त हो जाने पर, पश्चात्‌वर्ती के पक्ष में हट जाएगा किन्तु वह रोगी की सेवा के लिए प्रभार का हकदार होगा ।

(2) जब होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी से उसके निवास स्थान पर परामर्श किया जाता है तब उसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह रोगी के विषय में पूछताछ करे यदि वह रोगी होम्योपैथी के दूसरे चिकित्सा व्यवसायी की देखभाल में है ।

(3) जब होम्योपैथी का परामर्शी चिकित्सा व्यवसायी चिकित्सा व्यवसायी के अनुरोध पर रोगी को देखता है तो यह उसका कर्त्तव्य होगा कि वह उस मामले में अपनी राय के साथ दूसरे चिकित्सा व्यवसायी को उपचार की पद्धति के विषय में, जिसे अपनाया जाना वह आवश्यक समझता है, एक पत्र लिखें ।

42. प्रसव सम्बन्धी मामले में उपचार के लिए नियुक्ति करना.—(1) यदि होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी को किसी महिला की, उसकी प्रसवावस्था के दौरान देखरेख करने के लिए नियुक्त किया जाता है तो वह ऐसा करेगा । ऐसा करने से इस आधार पर इंकार करना कि वह अन्यथा व्यस्त है अनैतिक होगा किन्तु यदि वह इसी प्रकार के या अन्य गंभीर मामले में व्यस्त है तो ऐसा नहीं समझा जाएगा ।

(2) जब होम्योपैथी का ऐसा चिकित्सा व्यवसायी, जो किसी प्रसव संबंधी मामले में उपचार के लिए नियुक्त किया गया है, अनुपस्थित रहता है और उसके स्थान पर दूसरे को भेजा जाता है और प्रसव सम्बन्धी कार्य पूरा कर दिया जाता है तो होम्योपैथी का कार्यकारी चिकित्सा व्यवसायी अपनी वृत्ति फीस का हकदार होगा परन्तु वह इस बात पर रोगी की सहमति प्राप्त कर लेगा कि वह पहले नियुक्त किए गए होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी के लौटने पर उसकी चिकित्सा छोड़ देगा ।

25. जब किसी शासकीय पद धारण करने वाले होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी का यह कर्त्तव्य हो जाता है कि वह किसी के बीमार या घायल हो जाने पर उसे देखे या उसकी बाबत रिपोर्ट दे तो वह होम्योपैथी के देखरेख करने वाले चिकित्सा व्यवसायी को उसकी संसूचना देगा जिससे कि उसे उपस्थित होने का विकल्प प्राप्त हो सके । चिकित्सा अधिकारी उस निदान या उपचार पर टीका टिप्पणी नहीं करेगा जिसके अनुसार कार्य किया जा रहा है ।

ग. परामर्शी चिकित्सा व्यवसायियों के कर्त्तव्य :

26. परामर्श को बढ़ावा दिया जाएगा.—गंभीर बीमारी की दशा में, विशेषकर संदेहास्पद और कठिन स्थिति में होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी परामर्श के लिए अनुरोध करेगा । वह ऐसा चिन्ताजनक बीमारी, चिकित्सीय गर्भपात, उस स्त्री की चिकित्सा की दशा में भी करेगा जिसने आपराधिक गर्भपात करवाया है, विष देने के शंकास्पद मामलों में या उस दशा में जिसमें रोगी या उसका प्रतिनिधि चाहता है ।

27. परामर्श देने में समय की पाबंदी.—होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परामर्श देने और उससे मिलने के समय की पाबंदी का कड़ाई से पालन किया जाएगा । यदि होम्योपैथी का परामर्शी चिकित्सा व्यवसायी युक्तियुक्त समय के भीतर जैसे नियत समय से पंद्रह मिनट बाद तक नहीं पहुंचता है तो होम्योपैथी का पहला चिकित्सा व्यवसायी रोगी को अकेला ही देखने के लिए स्वतंत्र होगा परन्तु वह अपना निष्कर्ष एक बन्द लिफाफे में लिखकर छोड़ जाएगा ।

28. दूसरे चिकित्सा व्यवसायी को निर्दिष्ट रोगी.—जब किसी रोगी को उसकी देखरेख करने वाले होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी द्वारा किसी दूसरे चिकित्सा व्यवसायी को निर्दिष्ट किया जाता है तो पश्चात्‌वर्ती चिकित्सा व्यवसायी को उस मामले का विवरण दिया जाएगा । पश्चात्‌वर्ती होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी एक बन्द लिफाफे में अपनी राय रोगी की देखरेख करने वाले व्यवसायी को भेजेगा ।

29. रोगी के हित के लिए परामर्श.—प्रत्येक परामर्श में रोगी के हित को सर्वाधिक महत्व दिया जाएगा । उस मामले में हितबद्ध सभी होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी रोगी के परिवार के सदस्य या उसके उत्तरदायी मित्रों के साथ स्पष्ट रूप से बात करेंगे ।

30. परामर्श के दौरान आचरण.—परामर्श कपट, स्पर्धा और ईर्ष्या से नहीं किया जाएगा । मामले के भारसाधक होम्योपैथी चिकित्सा व्यवसायी के प्रति पूर्ण आदर दर्शाया जाएगा और ऐसी कोई टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी जिससे कि मामले के भारसाधक चिकित्सा व्यवसायी में रोगी के विश्वास को आघात पहुंचे । इस प्रयोजन के लिए, रोगी या उसके प्रतिनिधि के समक्ष कोई विचार-विमर्श नहीं किया जाएगा ।

(2) रोगी या उसके प्रतिनिधि को मामले के सम्बन्ध में दिया जाने वाला विवरण उस दशा को छोड़कर जिसमें अन्यथा करार पाया गया हो, सभी परामर्शी चिकित्सा व्यवसायियों के समक्ष किया जाएगा । रोगी या उसके नातेदार या मित्रों को राय के बारे में की गई घोषणा उसकी देखरेख करने वाले चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी ।

(3) मतभेद को अनावश्यक रूप से प्रकट नहीं किया जाएगा परन्तु जब मतभेद ऐसा हो कि उसे सुलझाया नहीं जा सके तो परिस्थितियों को रोगी या उसके मित्रों को स्पष्टत: और निष्पक्षत: बता दिया जाएगा ।

(4) यदि वे चाहें तो आगे भी सलाह कर सकते हैं ।

31. परामर्श की समाप्ति.—परामर्शी चिकित्सा व्यवसायी की देखरेख तब समाप्त हो जाएगी जब परामर्श समाप्त हो जाता है, जब तक कि देखरेख करने वाले चिकित्सा व्यवसायी द्वारा और समय नियत नहीं कर लिया जाता ।

32. परामर्श के बाद चिकित्सा.—देखरेख करने वाला होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी किसी भी निर्णय के अनुसार चिकित्सा में कोई ऐसा पश्चात्‌वर्ती परिवर्तन नहीं करेगा जो किसी असम्भाव्य परिवर्तन की दशा में अपेक्षित हो परन्तु

अगला परामर्श करते समय परिवर्तन के कारणों का उल्लेख किया जाएगा ।

(2) यही विशेषाधिकार और दायित्व परामर्शी का भी होगा जब आपात स्थिति के दौरान देखरेख करने वाले होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी की अनुपस्थिति में उसे बुलाया जाता है । देखरेख करने वाला चिकित्सा व्यवसायी रोगी के लिए किसी भी समय नुसखा लिख सकता है लेकिन परामर्शी व्यवसायी केवल आपातस्थिति में ही ऐसा कर सकता है ।

33. (1) परामर्शी मामले का भार अपने ऊपर नहीं लेगा : जब होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी को परामर्शी के रूप में बुलाया जाता है तब केवल अत्यन्त आपवादिक परिस्थिति के ही मामले में परामर्शी का भारसाधन न्यायोचित ठहरा सकेगी ।

(2) उसे केवल रोगी या उसके मित्र की याचना पर ही ऐसा नहीं करना चाहिए ।

34. अरजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के साथ परामर्श करने का वर्जन :—होम्योपैथी का कोई भी चिकित्सा व्यवसायी किसी अरजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से परामर्श नहीं करेगा ।

6. जनता के प्रति चिकित्सा व्यवसायियों का कर्तव्य

35. नागरिक के रूप में चिकित्सा व्यवसायी :—होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी अच्छे नागरिक की तरह और विशेष रूप से प्रशिक्षित होने के नाते जहां भी वे रहते हों वहां जनता को स्वास्थ्य के विषय में सलाह देंगे । वे समाज की विधियों को प्रवृत्त करने और मानव हित अग्रसर करने वाली संस्थाओं को जीवंत रखने में अपना योगदान देंगे । वे स्वच्छता सम्बन्धी विधियां और विनियमों के अनुपालन और प्रवर्तन में प्राधिकारियों से सहयोग करेंगे तथा जन-स्वास्थ्य की सुरक्षा और अभिवृद्धि के लिए औषधि, विष और भेषज से सम्बन्धित सभी विधियों के उपबन्धों का पालन करेंगे ।

36. लोक स्वास्थ्य :—होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी जो लोक स्वास्थ्य कार्य में लगे हुए हैं करन्तीन विनियमों और महामारियों तथा सांसर्गिक रोगों की रोकथाम के विषय में जनता को बताएंगे । चिकित्सा व्यवसायी हमेशा लोक स्वास्थ्य प्राधिकारियों को अपनी देखभाल में के सांसर्गिक रोगों के विषय में स्वास्थ्य प्राधिकारियों की विधियों, नियमों और विनियमों के अनुसार ही सूचित करेंगे । जब महामारी फैली हो तो होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी अपने स्वास्थ्य को होने वाले खतरे पर ध्यान दिए बिना अपनी यत्नसिद्धि करते रहेंगे ।

37. औषधि तैयार करके देना :—होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी को अपने नुस्खे के अनुसार औषधि तैयार करने तथा देने का अधिकार है ।

7. वृत्तिक अवचार :—

38. निम्नलिखित को वृत्तिक अवचार माना जाएगा :—

(1) किसी रोगी के साथ जारकर्म या अनुचित आचरण करना या किसी रोगी के साथ अनुचित सम्बन्ध बनाए रखना ।

(2) विधि न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता वाले अपराध में सिद्धदोष ठहराया जाना ।

(3) किसी होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अपने नाम और प्राधिकार से कोई ऐसा प्रमाण-पत्र, रिपोर्ट या इसी प्रकार का कोई दस्तावेज दिया जाना या उस पर हस्ताक्षर किया जाना जो असत्य है, भ्रामक है और अनुचित है ।

(4) औषधि के सम्बन्ध में विधि और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उपबन्धों का उल्लंघन ।

(5) विधि द्वारा यथा उपबन्धित के सिवाय, जनता को या अपने रोगियों को ऐसी औषधि या विष बेचना जो विधि द्वारा विनियमित है ।

(6) स्वयं ऐसा गर्भपात या कोई अवैध शल्यक्रिया करना या किसी अनर्ह व्यक्ति को ऐसा करने के लिए समर्थ बनाना जिसके लिए कोई चिकित्सीय, शल्य-चिकित्सीय या मनोवैज्ञानिक निर्देश नहीं है ।

(7) अनर्ह या चिकित्सा व्यवसाय के बाहर के व्यक्तियों को होम्योपैथी का प्रमाण-पत्र प्रदान करना परन्तु यह इस प्रकार लागू नहीं होगा कि डाक्टरों के ऐसे वैध कर्मचारियों, मिडवाइफों, डिस्पेंसरों, शल्यक्रिया परिचरों या कुशल यांत्रिक या तकनीकी सहायकों को दिए जाने वाले उचित प्रशिक्षण या अनुदेश पर रोक लग जाए जो होम्योपैथी के चिकित्सा व्यवसायी के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में हो ।

(8) किसी कैमिस्ट की दुकान या ऐसे स्थानों पर साइन-बोर्ड लगाना जहां होम्योपैथी का चिकित्सा व्यवसायी नहीं रहता है या काम नहीं करता है ।

(9) किसी रोगी की गुप्त बातों को प्रकट करना जिसकी जानकारी उसको अपनी वृत्तिक कर्म के दौरान हुई हो सिवाय उस दशा के जब उसे किसी विधि न्यायालय में पीठासीन न्यायाधीश के आदेश के अधीन बताया जाना है ।

(10) रोगियों की अनुज्ञा के बिना चिकित्सा सम्बन्धी या अन्य पत्रिका में रोगियों के फोटोग्राफ या केस रिपोर्ट ऐसी रीति में प्रकाशित करना जिससे द्वारा उनकी पहचान की जा सके किन्तु यदि उससे रोगी की पहचान प्रकट नहीं होती है तो रोगी की अनुज्ञा आवश्यक नहीं है ।

(11) फीसों के मापमान का सार्वजनिक प्रदर्शन, परन्तु यह चिकित्सक व्यवसायी के परामर्श या प्रतीक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जा सकता है ।

(12) रोगी उपाप्त करने के लिए दलाल या एजेंटों का प्रयोग करना ।

(13) सम्बद्ध विषय में पर्याप्त वर्ष तक अध्ययन का अनुभव किए बिना या सम्बद्ध चिकित्सा शाखा में विशेष अर्हता प्राप्त किए बिना विशेषज्ञ होने का दावा करना ।

डा. एम. पी. आर्य, सचिव,
केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th March, 1982

No. 7-1|82-CCH.—In exercise of the powers conferred by clause (f) of section 33 read with section 24 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 1973). the Central Council of Homoeopathy, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. These regulations may be called the Homoeopathic Practitioners (Professional Conduct, Etiquette and Code of Ethics) Regulations, 1982.

I. Declaration and Oath

2. (a) At the time of registration, each applicant shall submit the following declaration and oath read and signed by him to the Registrar concerned attested by the Registrar himself or by a registered practitioner of Homoeopathy :—

"(1) I solemnly pledge myself to consecrate my life to the service of humanity.

(2) Even under threat, I will not use my medical knowledge contrary to the laws of humanity.

(3) I will maintain the utmost respect for human life.

(4) I will not permit considerations of religion, nationality, race, political beliefs or social standing to intervene between my duty and my patient.

(5) I will practise my profession with consience and dignity in accordance with the principles of Homoeopathy and|or in accordance with the principles of biochemic system of medicine (tissue remedies).

(6) The health of my patient shall be my first consideration.

(7) I will respect the secrets which are confined to me.

(8) I will give to my teachers the respect and gratitude which is their due.

(9) I will maintain by all means in my power the honour and noble traditions of medical profession.

(10) My colleagues will be my brothers and sisters.

(11) I make these promises solemnly, freely and upon my honour."

(b) "HAHNEMANNIAN OATH

On my honour I swear that I shall practise the teachings of Homoeopathy, perform my duty, render justice to my patients and help the sick whosoever comes to me for treatment.

May the teachings of master Hahnemann inspire me and may I have the strength for fulfilment of my mission."

II-Central Principles

3. Character of Medical Practitioner:— The Primary object of the medical prefession is to render service to humanity with full respect for the dignity of man; financial reward is a subordinate consideration. Whosoever chooses this profession|assumes the obligation to conduct himself in accordance with its ideals. A practitioner of Homoeopathy shall be an upright man, instructed in the art of healing. He shall keep himself pure in character and be diligent in caring for the sick. He shall be modest, sober, patient and prompt and do his duty without anxiety, and shall be pious and conduct himself with propriety in his profession and in all the actions of his life.

4. Standards of Character and Morals :—The medical profession expects from its members the highests level of character and morals and every practitioner of Homoeopathy owes to the profession and to the public alike a duty to attain such a level. It shall be incumbent on a practitioner of Homoeopathy to be temperate in all matters, for the practice of medicine requires unremitting exercise of a clear and vigorous mind.

5. Practitioner's Responsibility : A practitioner of Homoeopathy shall merit the confidence of patients entrusted to his care, rendering to each full measure of service and devotion. The honoured ideals of the medical profession imply that the responsibilities of a practitioner of Homoeopathy extend not only to individuals but also to the entire society.

6. (1) Advertising :—Solicitation of patients directly or indirectly by a practitioner of Homoeopathy either personally or by advertisement in the newspapers, by placards or by the distribution of circular cards of hand-bills is unethical. A practitioner of Homoeopathy shall not make use of, or permit others to make use of him or his name as a subject of any form or manner of advertising or publicity through lay channels which shall be of such a character as to invite attention to him or to his professional position or skill or as would ordinarily result in his self-aggrandisment provided that a practitioner of Homoeopathy is permitted formal announcement in press about the following matters namely:—

(i) the starting of his practice;

(ii) change of the type of practice;

(iii) change of address;

(iv) temporary absence from duty;

(v) resumption of practice;

(vi) succeeding to another's practice.

(2) He shall further not advertise himself directly or indirectly through price lists or publicity materials of manufacturing firms or traders with whom he may be connected in any capacity, nor shall he publish cases, operations or letters of thanks from patients in non-professional newspapers or journals, provided it shall be permissible for him to publish his name in connection with a prospectus or a director's or a technical expert's report.

7. Payment of professional service :—(1) A practitioner of Homoeopathy engaged in the practice of medicine shall limit the sources of his income to fees received from professional activities for services rendered to the patient. Remuneration received for such services shall be in the form and amount specifically announced to the patient at the time the service is rendered; in all other cases he shall deem it a point of honour to adhere to the compensation for professional services prevailing in the community in which he practices.

(2) Fees are reducible at the discretion of the practitioner of Homoeopathy and he shall always rcognise poverty as presenting valid claims for gratuitous services.

(3) It shall be unethical to enter into a contract of "no cure—no payment".

8. Rebates and commission :— A practitioner of Homoeopathy shall not give, solicit or receive, nor shall he offer to give, solicit or receive, any gift, gratuity, commission or bonus in consideration for the referring, recommending or procuring of any patient for medical, surgical or other treatment nor shall he receive any commission or other benefit from a professional colleague, trader of appliaces, dentist or an occulist.

III. Duties of Homoepathic Practioners to their Patients

9. Obligations to the sick.—Though a practitioner of Homoeopathy is not bound to treat each and every one asking for his services except in emergencies, he shall, for the sake of humanity and the noble traditions of the profession. not only be ever ready to respond to the calls of the sick and the injured, but shall be mindful of the high character of his mission and the responsibility he incurs in the discharge of his professional duties.

10. Patient not be neglected :— (1) A practitioner of Homoeopathy is free to choose whom he will serve, provided he shall respond to any request for his assistance in

an emergency or whenever temperate public opinion expects the service.

(2) Once having undertaken a case, a practitioner of Homoeopathy shall not neglect the patient nor shall be withdraw from the case without giving notice to the patient his relatives or his responsible friends sufficiently long in advance of his withdrawal to allow them time to secure another practitioner.

11. Termination of service :— (a) The following shall be valid reasons for his withdrawal :—

(1) Where he finds another practitioner in attendance;

(2) Where remedies other than those prescribed by him are being used;

(3) Where his remedies and instructions are refused;

(4) Where he is convinced that illness is an imposture and that he is being made a party to a false pretence;

(5) Where the patient persists in the use of opium, alcohol, chloral or similar intoxicating drugs against medical advice;

(6) Where complete information concerning the facts and circumstances of the case are not supplied by the patient or his relatives.

(b) The discovery that the malady is incurable is no excuse to discontinue attendance so long as the patient desired that his services.

12. Acts of negligence :—(1) No practitioner of Homoeopathy shall willfully commit an act of negligence that may deprive his patient of necessary medical care.

(2) A practitioner of Homoeopathy is expected to render that diligence and skill in services as would be expected of another practitioner of Homoeopathy with similar qualifications, experience and attainments.

(3) His acts of commission or omission shall not be judged by any non-Homoeopathic standards or professional service expected of him but by those standards as are expected from a Homoeopath of his training, standing and experience.

(4) A practitioner of Homoeopathy shall use any drug prepared according to Homoeopathic principles and adopt other necessary measures as required.

13. Behaviour towards patients.—The demeanour of a practitioner of Homoeopathy towards his patients shall always be courteous, sympathetic, friendly and helpful. Every patient shall be treated with attention and consideration.

14. Visits.—A practitioner of Homoeopathy shall endeavour to add to the comfort of the sick by making his visits at the hour indicated to the patients.

15. Prognosis :—(1) The parctitioner of Homoeopthy shall neither exaggerate nor minimize the gravity of a patient's condition. He shall ensure that the patient, his relatives or responsible friends have such knowledge of the patient's condition as will serve the best interest of the patient and his family.

(2) In cases of dangerous manifestations, he shall not fail to give timely notice to the family or friends of the patient and also to the patient when necessary.

16. Patience, delicacy & secrecy :—Patience and delicacy shall characterize the attitude of a practitioner of Homoeopathy. Confidences concerning individual or domestic life entrusted by patients to a practitioner and defects in the disposition or character of patients observed during the medical attendance shall not be revealed by him to anyone unless their revelation is required by the laws of the State.

IV. DUTIES OF PRACTITIONERS TO THE PROFESSION

17. Upholding honour of profession :—A practitioner of Homoeopathy shall, at all times uphold the dignity and honour of this profession.

18. Membership of Medical Society :—For the advancement of his profession a practitioner of Homoeopathy may affiliate himself with Medical Societies and contribute his time, energy and means to their progress so that they may better represent and promote the ideals of the profession.

19. Exposure of unethical conduct :—A practitioner of Homoeopathy shall expose, without fear or favour, the incompetent, corrupt, dishonest or unethical conduct on the part of any member of the profession.

20. Association with unregistered persons :—A practitioner of Homoeopathy shall not associate himself professionally with anybody or society of unregistered practitioners of Homoeopathy.

21. Appointment of substitutes.—Whenever a practitioner of Homoeopathy requests another to attend to his patients during his temporary absence from practice, professional courtesy requires the acceptance of such appointment by the latter, if it is consistent with his other duties. The practitioner of Homoeopathy acting under such an appointment shall give the utmost consideration to the interests and reputation of the absent practitioner. He shall not charge either the patient or the absent practitioner of Homoeopathy for his services, except in the case of a special arrangement between them. All such patients shall be restored to the care of the absent practitioner of Homoeopathy upon his return.

22. Charges for service to Practitioners of Homoeopathy:—(1) There is no rule that a practitioner of Homoeopathy shall not charge another practitioner of Homoeopathy for his services but a practitioner of Homoeopathy shall consider it a pleasure and privilege to render gratuitous service to his professional brother and his dependents, if they are in his vicinity or to a medical student.

(2) When a practitioner of Homoeopathy is called from a distance to attend or advise another practitioner of Homoeopathy or his dependents, reimbursement shall be made for travelling and other incidental expenses.

23. (1) The practitioner of Homoeopathy called in an emergency to visit a patient under the care of another practitioner of Homoeopathy shall, when the emergency is over, retire in favour of the latter, but he shall be entitled to charge the patient for his services.

(2) When a practitioner of Homoeopathy is consulted at his own residence, it is not necessary for him to enquire of the patient if he is under the care of another practitioner of Homoeopathy.

(3) When a consulting practitioner of Homoeopathy sees a patient at the request of another practitioner of Homoeopathy it shall be his duty to write a letter stating his opinion of the case with the mode of treatment he thinks is required to be adopted.

24. Engagement for an obstetrics case :—(1) If a practitioner of Homoeopathy is engaged to attend to a woman during her confinement, he shall do so. Refusal to do so on an execuse of any other engagement shall not be considered ethical except when he is already engaged on a similar or other serious case.

(2) When a practitioner of Homoeopathy who has been engaged to attend an obstetric case is absent and another is sent for and delivery is accomplished, the acting practitioner of Homoeopathy shall be entitled to his professional fees; provided he shall secure the patient's consent to withdraw on the arrival of the practitioner of Homoeopathy already engaged.

25. When it becomes the duty of a parctitioner of Homoeopathy occupying an official position to see and report upon an illness or inquiry, he shall communicate to the practitioner of Homoeopathy in attendance so as to give him an option of being present. The medical officer shall avoid remarks upon the diagnosis or the treatment that has been adopted.

V. DUTIES OF PRACTITIONERS IN CONSULTATION

26. Consultation shall be encouraged:—In cases of serious illness, especially in doubtful or difficult conditions the practitioner of Homoeopathy shall request consultation. He shall also do so in perplexing illness, in therapeutic abortions, in the treatment of a woman who had procured criminal abortion, in suspected cases of poisoning, or when desired by the patient or his representative.

27. Punctuality in consultation:—Utmost punctuality shall be observed by a practitioner of Homoeopathy in meeting for consultation. If the consultant practitioner of Homoeopathy does not arrive within a reasonable time such as a quarter of an hour after the appointed time, the first practitioner of Homoeopathy shall be at liberty to see the patient alone provided he shall leave his conclusion in writing in a closed envelope.

28. Patient referred to another physician:—When a patient is referred to another practitioner of Homoeopathy by the attending practitioner of Homoeopathy, a statement of the case shall be given to the latter practitioner of Homoeopathy. The latter practitioner of Homoeopathy shall communicate his opinion in writing in a closed cover direct to the attending practitioner of Homoeopathy.

29. Consultation for patient's benefit:—In every consultation, the benefit to the patient shall be of first importance. All practitioners of Homoeopathy interested in the case shall be candidate with a member of the patient's family or responsible friends.

30. Conduct in consultation:—(1) In consultations, there shall be no place for insincerity rivalry or envy. All due respect shall be shown to the practitioners of Homoeopathy in charge of the case an dno statement or remarks shall be made which would impair the confidence reposed in him by the patient. For this purpose, no discussion shall be carried on in the presence of the patient or his representatives.

(2) All statements of the case to the patient or his representatives shall take place in the presence of all the practitioners consulting, except as otherwise agreed; the announcement of the opinion to the patient or his relations or friends shall rest with the attending practitioner of Homoeopathy.

(3) Differences of opinion shall not be divulged unnecessarily; provided when there is an irreconcilable difference of opinion the circumstances shall be frankly and impartially explained to the patient or his friends.

(4) It shall be open to them to seek further advice if they so desire.

31. Cessation of consultation.—Attendance of the consulting practitioner of Homoeopathy shall cease when the consultation is concluded, unless another appointment is arranged by the attending practitioner of Homoeopathy.

32. Treatment after consultation:—(1) No decision shall restrain the attending practitioner of Homoeopathy from making such subsequent variations in the treatment as any unexpected change may require; provided at the next consultation, reasons for variation are stated.

(2) The same privilege, with its obligations, belongs to the consultant when sent for in an emergency during the absence of the attending practitioner of Homoeopathy. The attending practitioner of Homoeopathy may prescribe at any time for the patient, but the consultant, only in case of emergency.

33. Consultant not to take charge of the case:—(1) When a practitioner of Homoeopathy has been called as a Consultant, none but the rarest and most exceptional circumstances shall justify the consultant taking charge of the case.

(2) He must not do so merely on the solicitation of the patient or his friends.

34. Bar against consulting non-registered practitioner:—No practitioner of Homoeopathy shall have consultation with any practitioner of Homoeopathy who is not registered.

VI. DUTIES OF PRACTITIONERS TO THE PUBLIC

35. *Practitioner as citizens* :— Practitioners of Homoeopathy as good citizens, possessed of special training, shall advise concerning the health of the community wherein they dwell. They shall play their part in enforcing the laws of the community and in sustaining the institutions that advance the interest of humanity. They shall cooperate with the authorities in the observance and enforcement of sanitary laws and regulations and shall observe the provisions of all laws relating to Drugs, Poisons and Pharmacy made for the protection and promotion of public health.

36. Public health :— Practitioner of Homoeopathy engaged in public health work, shall enlighten the public concerning quarantine regulations and measures for the provention of epidemic and communicable diseases. At all time the practitioners shall notify the constituted public health authorities of every case of communicable disease under their care, in accordance with the laws, rules and regulations of the health authorities. When an epidemic prevails, practitioner of Homoeopathy shall continue his labours without regard to the risk to his own health.

37. Dispensing :—A practitioner of Homoeopathy has a right to prepare and dispense his own prescription.

VII. PROFESSIONAL MISCONDUCT

38. The following actions shall constitute professional misconduct :

(1) Committing adultery or improper conduct with a patient, or maintaining an improper association with a patient;

(2) Conviction by a Court of law for offences involving moral turpitude;

(3) Signing of or giving by any practitioner of Homoeopathy under his name and authority any certificate, report or document of kindred character which is untrue, misleading or improper;

(4) Contravention of the provisions of laws relating to Druge and regulations made thereunder;

(5) Selling a drug or poison regulated by law to the public or his patients save as provided by that law.

(6) Performing of enabling an unqualified person to perform an abortion or any illegal operation for which there is no medical, surgical or psychological indication;

(7) Issue of certificates in Homoeopathy to unqualified or non-medical persons provided that this shall not apply so as to restrict the proper training and instruction of legitimate employees of doctors midwives, dispensers, surgical attendants or skilled mechanical and technical assistants under the personal supervision of practitioners of Homoeopathy.

(8) Affixing a signboard on a chemist's shop or in places where the practitioner of Homoeopathy does not reside or work ;

(9) Disclosing the secrets of a patient that have been learnt in the exercise of profession, except in a Court of law under orders of the presiding judge.

(10) Publishing photographs or case-reports of patients in any medical or other journal in a manner by which their identity could be made out without their permission, provided that if the identity of patient is not disclosed, their consent is not necessary ;

(11) Public exhibition of the scale of fees provided that the same may be displayed in the physician's consulting or waiting room;

(12) Using of tours or agents for procuring patients ;

(13) Claiming to be a specialist without having put on substantial number of years of study and experience in the subject concerned or without possessing a special qualification in the branch concerned.

Dr. M. P. ARYA, Secy.
Central Council of Homoeopathy

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982